न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 130/2004 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2004/00012

उनवान

केदार पुत्र दूधी जाति जोशी निवासी बल्लमगढ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. पूरन पुत्र दूधी
2. श्रीमती रामो वेवा
3. सामलिया पुत्र
4. पप्पू पुत्र
5. मुन्ना उर्फ गोरधन पुत्र
6. संतोष पुत्र

मोहनलाल जाति जोशी निवासी बल्लमगढ तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर दिनांक 22.07.1970 मि.नं. 148/62 उनवानी पूरन बनाम दूधी

उपस्थित :–
1. श्री दुलीचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 27.12.2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.1970 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 53 वाके ग्राम बल्लमगढ तहसील वैर, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है, के रैस्पो0/वादीगण निस्फ–निस्फ वहिस्सा बराबर के काबिज काश्तकार हैं। इस समय भी रैस्पो0/वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त हैं एवं उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। प्रतिवादी/अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कभी कोई कब्जा काश्त अथवा वास्ता नहीं रहा है, प्रतिवादी/अपीलाण्ट का नाम खिलाफ मौका तथा कानून, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के इन्द्राज दर्ज हैं। इन गलत इन्द्राजों के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर रैस्पो0/वादीगण को शान्ति से काश्त नहीं करने देते, अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उनके पिता दूधी के हाथो में भी पैतृक सम्पत्ति थी। अपीलाण्ट भी उक्त पैतृक सम्पत्ति में कोपार्सनर की हैसियत से जन्म से हिस्सेदार था तथा पिता दूधी को उक्त पैतृक सम्पत्ति बाबत् किसी भी प्रकार से इकबाल दावा प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इकबाल दावा के आधार पर दावा डिक्री किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी, प्रतिवादी के सगे पुत्र है व उनकी उम्र मात्र 22 साल व 25 साल है। अतः उनका कब्जा अरसे दराज से नहीं हो सकता है ना तो वह पिता से अलग रहते थे एवं ना ही उनका कब्जा एडवर्स टू खातेदार हो सकता है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के कोपार्सनर, आवश्यक पक्षकार होतु हुए भी उसे पक्षकार बनाये बिना, उसके हिस्से को भी डिक्री करा लिया है। अतः डिक्री बाईड है व काबिल अपास्त है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर कोई साक्ष्य किसी प्रकार की नहीं ली गई है एवं ना ही कोई रिकार्ड ही देखा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र धरा 13,15,19 के तहत ही खातेदारी प्राप्त की जा सकती है, अन्य कोई प्रावधान नहीं है। अतः इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध एवं बिना किसी साक्ष्य के रैस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना अवैधानिक तरीके से डिक्री पारित कर दी है जो काबिल अपास्त है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1998 (एस.सी.) पेज 319, 1999(एस.सी.) पेज 173, 1989 पेज 738, 2000 पेज 397 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर, दावा रैस्पो0/वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.1970 की अपील लगभग 34 वर्ष बाद, विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं विलम्ब का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा उनका तर्क है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इकबाली जवाब दावा के आधार पर दावा डिक्री किया है। इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के बाद पक्षकारों के मध्य कोई विवाद ही नहीं रहता है एवं ना ही किसी तथ्य को साबित कराने की आवश्यकता ही रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2013(2) पेज 1128 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.1970 की अपील 34 वर्ष 04 माह बाद प्रस्तुत की है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह विलम्ब निश्चय ही बहुत लम्बा है परन्तु अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1998 पेज 319 एवं आर0आर0डी0 1999 पेज 173 के आलोक में हम मियाद के तकनीकी बिन्दु के बजाय गुणावगुण पर निर्णय करना वांछनीय पाते हैं अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र मियाद स्वीकार किया जाता है। जहॉ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2020–23 के खाता संख्या 133 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 53 में दूधी बल्द नानिगा राम कौम जोशी खातेदार दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 208 में विवादित आराजी में पूरन व मोहन वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हैं। दूधी के तीन पुत्र केदार, मोहन, पूरन हैं, अतः नियमानुसार दूधी के तीनों पुत्रो का विवादित आराजी में हिस्सा बनता है। परन्तु राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट केदार का नाम दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/वादीगण का दावा इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किया गया है। वादी के वाद को सिद्ध करने के लिए उक्त इकबाल दावा कतई पर्याप्त नहीं है क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक कथन प्रभावहीन है। खातेदार दूधी के रैस्पो0 पुत्रगण विरासतन, विवादित भूमि में हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इस दशा में अपीलाण्ट केदार को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा रैस्पोडेंटगण को विक्रय, दान इत्यादि के आधार पर अधिकार सृजित हो सकते थे, परन्तु अपीलाधीन दावा विक्रय, दान इत्यादि के आधार पर नहीं लाया गया है। केवल तर्क के लिए रैस्पोडेंटगण का विवादित भूमि पर कब्जा, अपीलाण्ट को पृथक करते हुए माना भी जावें तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजन/इस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। यह कब्जा विधि अनुरूप होना आवश्यक है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकारो का सृजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नहीं हो सकता है। केवल मात्र रैस्पो0/वादी ने अपने कथित कब्जे का कोई दस्तावेज व स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वहां पर मौखिक साक्ष्य का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलकटर, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.1970 निरस्त किये जाते हैं। साथ ही अपीलाण्ट केदार को विवादित आराजी खसरा नम्बर 53 में 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर